भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-**2280**

उत्तर देने की तारीख-09/12/2024

पूर्व मंत्रियों के बच्चों को शिक्षा में वरीयता

2280. **श्री रमाशंकर राजभर:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में पूर्व मंत्रियों के बच्चों को शिक्षा में विशेष वरीयता दिए जाने का प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो आज तक कितने बच्चों ने उक्त वरीयता का लाभ उठाया है;

(ग) क्या देश में छात्रों को शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) आज तक ऐसे कितने बच्चों ने उक्त ऋण का लाभ उठाया है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) और (ख): शिक्षा समवर्ती सूची में है, केन्द्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें शिक्षा हेतु उत्तरदायी हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में देश के पूर्व मंत्रियों के बच्चों की शिक्षा के लिए कोई विशेष वरीयता का प्रावधान नहीं है।

(ग) और (घ): **भारतीय बैंक संघ (आईबीए) की आदर्श शिक्षा ऋण योजना के अंतर्गत बैंकों द्वारा छात्रों को शिक्षा ऋण प्रदान किया जाता है। उक्त संबंधी विवरण https://www.iba.org.in/retail-banking/educational-loanscheme.html पर उपलब्ध है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, वर्ष** 2023-24 **में** 3.23 **लाख से अधिक शिक्षा ऋण स्वीकृत किए गए। इसके अतिरिक्त, नवंबर 2024 में भारत सरकार ने मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना पीएम-विद्यालक्ष्मी अनुमोदित की है, ताकि वित्तीय बाधाएं भारत के किसी भी युवा को भारत में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्राप्त करने में रूकावट न बनें। बिना किसी जमानत या गारंटर के शिक्षा ऋण उपलब्ध कराने के लिए एक विशेष ऋण उत्पाद विकसित किया गया है; जो सरल, पारदर्शी, छात्र-अनुकूल और पूर्णतः डिजिटल आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से सुलभ है।**

*****